दिनांक 18.10.2019	
प्रेस विज्ञप्ति 22/19	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

साइबर काइम : विभिन्न बैंकों से फर्जी नाम पते की आई0डी0 बनाकर करोड़ो का लोन लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी कम्पनी चलाने वाले 03 मुख्य सरगना गिरफ्तार।

–:– घटना का संक्षिप्त विवरण –:–

एक्सिस बैंक के द्वारा साइबर काइम थाना, सेक्टर 36 नोएडा पर **मु0अ0सं0 14/2019 धारा 419,420,467,468,471,489,120बी0 भादवि व 66,66डी,71,73,74 आई0टी0एक्ट** पंजीकृत कराया। जिसमे कुछ लोगो द्वारा फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड व वोटर कार्ड आई0डी0 बनाकर, विभिन्न बैंको मे Winsome Design Pvt. Ltd., Exelon tech Ltd. And AGCO Technology India Pvt. Ltd के नाम से खाते खोलकर तथा इन कम्पनियों में काम करने वाले लोगो के फर्जी सैलरी खाता खुलवाकर बैंको से Personal Loan व वाहन लोन लेकर बैंको को करोडो का फर्जीवाडा किया जाना बताया गया। इन कम्पनियों द्वारा लोन लेने वाले धारक को WIPRO Dell International, FIS Global, And Satyam Auto Component जैसी प्रसिद्ध कम्पनियों में कार्यरत दिखाया जा रहा था।

उक्त अभियोग की शीघ्रतम अनावरण हेतु पुलिस महानिरीक्षक, साइबर काइम एवं पुलिस अधीक्षक साइबर काइम के निर्देशन मे साइबर काइम थाना सेक्टर–36 नोएडा पर पॉच अलग–अलग पुलिस टीम गठित कर करोड़ो के हो रहे फर्जीवाडा का पर्दाफास करने हेतु निर्देशित किया गया गठित पुलिस टीम के द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 17.10.2019 को समय 14:15 बजे एडवान्ट टावर विजनैस पार्क सेक्टर. 142 नोएडा मे स्थित मे चल रहे फर्जी Winsome Company आफिसॅ संख्या 710बी, टावर–बी0, सातवॉ तल से 03 सरगना को मौके से गिर0 किया गया। जिनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाईल सिम, विभिन्न बैंको के डेबिट/केडिट कार्ड व चैक बुक, कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर, लैण्ड लाईन फोन, कार्ड कटर आदि बरामद किये गये।

अरिन्दम मैती उर्फ आशीष सिंह पुत्र रंजन मैती नि0 ग्राम मैती पाड़ा, थाना भूपतनगर, जिला पुर्वमेदनीपुर, प0 बंगाल, हाल पता–857 गली नं0–06 डी0, न्यू इंदिरा कालोनी नहर पार, ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा। मो0नं0–9818877727	रवि कुमार उर्फ हरीश चन्द्र पुत्र हेमराज उर्फ खेमचन्द नि0 ग्राम मितरोल, थाना पलवल सदर, जनपद पलवल हरियाणा, हाल पता– जी0 35, हरि विहार कालोनी, थाना बलवगढ हरियाणा। मो0नं0 8860606816, 8586054248	मो0 शारिक पुत्र. सलाउददीन खान, नि0 मोहल्ला पठान टोला, थाना व कस्बा पहासू, जनपद बुलन्दशहर, हाल पता–बी0–2100, गली नं0 16, संजय गांधी मैमोरियल नगर थाना एस0जी0एम0 नगर, फरीदाबाद हरियाणा। मो0नं0 9899218244, 7291903898

<u>बरामदगी</u>

(क)– अभियुक्त अरिन्दम मैती उर्फ आशीष सिंह, (ख)–अभियुक्त रवि कुमार उर्फ हरीश चन्द

(ग)–अभियुक्त मो0 शारिक पुत्र. सलाउददीन खान

1– क्रेडिट/डेबिट कार्ड HDFC बैंक, AXIS बैंक, बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, ICICI बैंक –127 अदद।
2– पैन कार्ड – 68 अदद।
3– आधार कार्ड – 48 अदद।
4– मोबाईल फोन – 23 अदद।
5– फर्जी मोहर बैंक/ कम्पनियॅा – 10 अदद।
6– कार की आर0सी0।
7– चैक बुक HDFC बैंक, AXIS बैंक, बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, ICICI बैंक –127 अदद।
8– पास बुक HDFC बैंक, AXIS बैंक, बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, ICICI बैंक – 14 अदद।
9– विटारा ब्रिजा कार एच0आर0 51 बी0एक्स–4927।
10– सिम कार्ड वोडाफोन व एयरटेल – 27 अदद।
11– वोटर आई0डी0 – 02 अदद।

<u>अभियुक्तगणों से पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गणों से विशेष टीम गठित कर पूछताछ की गयी तो इन्होने बताया कि हम तीनो पहले एक्सिस बैंक की Subsidiary Company में चार–पॅाच साल तक काम करते थे हमारा काम लोगों को लोन दिलवाना था। इस दौरान हम लोगो को बैंकों से लोन दिलवाने की प्रक्रिया व कमियों का पता चला। अतः वर्ष 2017 में हम तीनों ने मिलकर दुकान नं0 01 अनाज मंडी सेक्टर –16, फरीदाबाद मे FIS Global नाम से एक कम्पनी

खोली जिसका प्रोपराइटर अरिन्दम मैती था। जहॉ हमारे द्वारा आम जनता को सस्ते दर पर लोन दिलवाने हेतु बुलवाया जाता था। चूॅकि हम लोग पूर्व में बैंको को लोन दिलवाने का कार्य करते थे। अतः पूर्व लोन धारकों के रिफरेन्स से लोग हमारे पास लोन लेने हेतु आते थे जिनसे उनकी मूल दस्तावेज प्राप्त कर अपनी कम्पनी का कर्मचारी अपने अभिलेखों मे बना लेते थे एवं उनका बैंको मे एकाउन्ट खुलवाकर FIS Global कम्पनी से वेतन देने लगते थे जिससे ग्राहक की साख व विश्वसनियता बैंक की नजर मे और बढ़ जाती थी। कम्पनी का कर्मचारी होने के कारण विभिन्न बैंको द्वारा आसानी से लोन पारित कर दिया जाता था। इस तरह हमने एक्सिस बैंक मे करीब 21 लोगों के नाम पते से लगभग 01 करोड 36 लाख रूपये का लोन कराया था। लोन होने के उपरान्त अपना ऑफिस व फर्जी कम्पनी बन्द कर दिया ताकि लोन की किस्त न देनी पडे। इसी कारण हमने अपने फरीदाबाद स्थित कम्पनी FIS Global को बन्द कर दिया था।

वर्ष 2018 में एडवान्ट टावर विजनैस पार्क सेक्टर. 142 नोएडा के सातवें तल पर इन्टिरियर डेकोरेशन के बावत Winsome Design Pvt. Ltd खोली जिसका रजिस्ट्रेशन हमने लोन के लिये आये ग्राहक राजेश व सुब्रमण्यिम नाम व्यक्तियों की मूल आई0डी0 को फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर किया था। इन्टिरियर डेकोरेशन मात्र नाम के लिये था हमारा काम लोन लेने वाले जरूरतमंद लोगो को अपने यहॉ का कर्मचारी बनाकर उसकी फर्जी आई0डी0 व बैंक एकाउन्ट डिटैलस के आधार पर लोन दिलवाना ही था।

गहनता से पूछताछ करने पर इन्होने बताया कि बच्चों के एडमिशन के लिये जमा किये जाने वाले फार्म के साथ उनके परिजनों की आई0डी0 भी जमा की जाती है, एडमिशन न हो पाने की स्थिति में इन फार्मो को आई0डी0 के साथ कबाडियों को रदद् के भाव बेच दिया जाता है जिन्हे हम लोग खरीदकर संलग्न आई0डी0 मे दिये गये नम्बर का प्रयोग कर एवं आई0डी0 पर चस्पा फोटो से मिलती जुलती फोटो अपने कार्यालय मे लगे कम्प्यूटर की मदद से गूगल सर्च इन्जन पर ''पासपोर्ट साईज फोटो'' लिखकर सर्च करते थे जिससे सेकडों की संख्या मे पासपोर्ट साईज फोटो स्क्रिन पर डिस्पले होने लगता था उन्ही फोटो मे से मिलती जुलती फोटो छॉटकर कम्प्यूटर, कलर्ड प्रिन्टर, कार्ड कटर , लेमिनेशन मशीन की मदद से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर लिये जाते थे और इसी नाम पते के व्यक्तियों को अपने यहॉ कर्मचारी दिखाते हुये उनका विभिन्न बैंको में इन्ही फर्जी दस्तावेजो के आधार पर बैंक एकाउन्ट खुलवाया जाता था और उन खातो पर लोन ले लिया करते थे, बैंकों द्वारा उपरोक्त फर्जी नाम पते के व्यक्तियों का एक पता अपनी कम्पनी का दिया जाता था। जिसका वैरिफिकेशन बैंक कर्मियों द्वारा सरलता से कर, लोन देने की स्वीकृती प्रदान कर दी जाती थी। फर्जी नाम पते वाले व्यक्तियों के लोन होने के उपरान्त FSL Global कम्पनी बन्द कर दिया था।

अब तक की पूछताछ में लगभग इस गिरोह के द्वारा एक्सिस बैंक से 09 करोड़ रूपयों का फर्जी लोन दिलवाया जा चूका है। अभियुक्तगणों के कब्जे से भारी संख्या में बरामद शुदा बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, एच0डी0एफ0सी0, के पास बुक, चैक बुक,

डेबिट / क्रेडिट कार्ड भी प्रथम दृष्टया फर्जी नाम पते पर प्राप्त किया जाना बताया है साथ ही इन खातों में दिया गया मोबाईल नं0 के सिम व मोबाईल फोन भी भारी मात्रा में बरामद किये गये है। बरामदा सिम व मोबाईल का इस्तेमाल इनके द्वारा बैंक के द्वारा लोन से पूर्व टेली वैरिफिकेशन के लिये किया जाता था इन सिम नम्बरों को लोन लेने वाले खाता धारको के बैंक एकाउन्ट मे भी दर्ज किया जाता था। अब तक पूछताछ पर एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन, आटों लोन, तथा क्रेडिट कार्ड के नाम पर करीब 21 फर्जी लोगों के नाम से **28 खातों में करीब 01 करोड 36 लाख रूपये का फर्जी लोन** कराया जाना ज्ञात हुआ है। शेष बन्धन बैंक, एचडीएफसी, कोटैक महिन्द्रा बैंक से भी **10–12 करोड रूपये** का फर्जी लोन कराये जाने की सम्भावना है। प्राप्त दस्तावेज की बैंको से पुष्टि होने के उपरान्त सही आकडा उपलब्ध हो पायेगा।

इन लोगों के द्वारा पवन नाम के व्यक्ति के फर्जी पेपर लगाकर एक ब्रेजा कार रजि0 नंम्बर **एच0आर0 51 बी0एक्स.04927** भी खरीदा है जो बरामद हुयी है। अभियुक्त अरिन्दम मैती द्वारा आशीष सिंह बनकर एक्सिस बैंक से फर्जी पता देकर **09 लाख** रूपये का लोन भी कराया गया है व अन्य 3–4 बैकों से लगभग 30 से 35 लाख रूपये का लोन ले चूका है। जिसमें एक्सिस बैंक के द्वारा इसे डिफाल्टर घोषित किया गया है। बैंको मे खुलवाये गये विभिन्न फर्जी नाम–पते के खातो के ए0टी0एम0 कार्ड, डेबिट कार्ड, पास बुक व चैक बुक अपने पास ही रखते है ताकि इन इन खातो की जानकारी एवं अनधिकृत रूप से इसका प्रयोग किया जा सके। अब तक की विवेचना मे 1-FIS Global, 2-Winsome Design, 3-Satyam Auto Component, 4-Stretrosphere IT Solutions, 5-Exelon AGCO, 6-Wipro, 7- Dell International नामक कम्पनियॉ प्रकाश मे आयी है, जोकि प्रथम दृष्टया आपस मे जूडी हुयी है एवं इनका रजिस्ट्रेशन अलग–अलग नामों से कराया गया है। एक्सिस बैंक से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन कम्पनियों के द्वारा लगभग 09 करोड़ रूपये का फर्जी लोन कराया गया है व अन्य Financial Institutions से जैसे–ICICI, Kotak Mahindra, HDFC, IDFC Capital First, Yes Bank, Ratan India, Aditiya Birla Finance, Fullerton, Money Services से भी लगभग 5–5 करोड़ रूपये प्रति बैंक के हिसाब से अनुमानित लोन धनराशि 50–55 करोड़ रूपये की आंकी गयी है। अभियुक्तगणों को पूछताछ हेतु मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लिया जायेगा।

अग्रिम कार्यवाही हेतु विवेचना मे समाहित किये जाने वाले बिन्दुः–

- बरामदा बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, एच0डी0एफ0सी0 के खातो पर लिया गया लोन का विवरण प्राप्त कर विवेचना मे समाहित किया जायेगा।
- बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, एच0डी0एफ0सी0 की **81 अदद चैक बुक, 10 अदद पास बुक**, के खाता धारको से बैंक एकाउन्ट खुलवाने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जायेगी।
- बरामदा बंधन बैंक, कोटेक महिन्द्र बैंक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक के कुल **128 अदद डेबिट / क्रेडिट** कार्ड का विवरण सम्बन्धित बैंको से प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

- बरामद **64 अदद पैन कार्ड** के सम्बन्ध में आयकर विभाग से जनकारी प्राप्त कर इनका भौतिक सत्यापन भी कराया जायेगा।
- बरामद **59 अदद आधार कार्ड** के सम्बन्ध में यू0आई0डी0आई0 से जनकारी प्राप्त कर इनका भौतिक सत्यापन कराकर अग्रिम कार्यावाही की जायेगी।
- बरामद **23 अदद मोबाईल सिम कार्ड** का कैफ व एस0डी0आर0 प्राप्त कर इनका भौतिक सत्यापन कराकर अग्रिम कार्यावाही की जायेगी।
- बरामदा **सी0पी0यू0 मे हार्ड डिस्क** का विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे परीक्षण कराकर अग्रिम कार्यावाही की जायेगी।

अब तक पूछताछ एवं विवेचना से प्राप्त जानकारी से अभियुक्तगणों द्वारा अपनाये गये Modus Oprandii एवं बैंको द्वारा लोन दिये जाने की प्रक्रिया मे ज्ञात खामियों को भी विभिन्न बैंको को अवगत कराया जायेगा, ताकि भविष्य में गलत दस्तावेजो के आधार पर दिये जा रहे लोन की प्रक्रिया व कमियों को दूर किया जा सके।

जनपद गोरखपुर/थाना बांसगांव

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2019 को थाना बांसगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटवली बाजार डिग्री कालेज तिराहा के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी चुडामड़ी उर्फ संजय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में धोखाधडी, गैंगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. चूड़ामड़ी उर्फ संजय निवासी ग्राम रघुवाडीह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली

• 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 18.10.2019 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरीपुर चौराहे के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के थाना कोतवाली पर चोरी, डकैती, धोखाधडी व गैंगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1474/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्ता को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र निवासी ग्रगाम शिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरगनगर।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेडा

• पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस

• लूट का मोबाईल फोन

• 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 17.10.2019 को थाना कंकरखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वैंक्टेश्रवरा मोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त मिठ्ठे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य अपराधी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, लूट का मोबाईल फोन व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मिठ्ठे निवासी ग्राम टेहरकी थाना सरधना जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. लूट का मोबाईल फोन
3. 01 मोटर साइकिल

जनपद बदायूं/थाना कादरचौक

- **शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 14 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 18.10.2019 को थाना कादरचौक व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कादरचौक क्षेत्रान्तर्गत शातिर वाहन चोर विजय उर्फ बृजेश को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य अभियुक्त फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 14 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अपने साथियों के साथ जनपद बदायूं व आसपास के जनपदों से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कादरचौक पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विजय उर्फ बृजेश निवासी धनूपुरा थाना कादरचौक जनपद बदायूं।

बरामदगी

1. चोरी के 14 दो पहिया वाहन

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली

- **05 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 18.10.2019 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायबरेली रोड नहर पुलिय के पास से 05 शातिर वाहन चोरों 1–जितेन्द्र 2–राजू 3–कपिल कुमार 4–मकबूल 5–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 08 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद व आसपास के क्षेत्रों से चार पहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी नवीननगर थाना काकादेव, कानपुर नगर ।

2–राजू निवासी स्वर्ण जयन्ती बिहार डूडा कालोनी थाना बिधने कानपुर नगर।

3–कपिल कुमार निवासी ग्राम जमुहा थाना दिबियापुर, औरैया।

4–मकबूल निवासी चौधराना थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।

5–राजू निवासी बिलग्राम थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।

बरामदगी

1– चोरी के 08 चार पहिया वाहन

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **20–20 हजार रू0 के दो पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2019 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदगाह जाने वाले खड़न्जे से पुरस्कार घोषित अपराधी मो0 हारून व मो0 हासिम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दोनो गिरफ्तार अभियुक्त थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 349/19 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20–20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 हारून निवासी अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।
2–मो0 हासिम निवासी अहमदपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

जनपद एटा/थाना पिलुआ

- **10,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2019 को थाना पिलुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैंड के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी रोहिब को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलुआ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहिब निवासी कस्बा व थाना पिलुआ जनपद एटा।

–––––